इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2011—आश्विन 12, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (75).—यत: राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धार 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 64 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जहां कोई विविध आवेदन, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो कोई फीस देय नहीं होगी."

(2) नियम 76 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"76. राज्य में से होकर सड़क मार्ग द्वारा माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास का जारी किया जाना

(1) जब धारा 57 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए अधिसूचित माल को ले जाने वाला कोई यान प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से आकर प्रदेश के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने हेतु राज्य से गुजरता है, तो यान का चालक/यान का भारसाधक अन्य कोई व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश करने के स्थान पर/के पास स्थापित

जांच चौकी या नाके यदि कोई हो, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रवेश जांच चौकी कहा गया है) के जांच चौकी अधिकारी को प्ररूप 59 में तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(2) प्रवेश जांच चौकी का जांच चौकी अधिकारी, दस्तावेजों की परीक्षा और ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् परिवहनकर्ता को आवेदन-पत्र की मूल प्रति स्वयं के पास रखते हुए दूसरी तथा तीसरी प्रतियां जिसमें अभिवहन पास अंतर्विष्ट हो, जारी करेगा तथा जिसमें में राज्य की जांच चौकी या नाका (जो इसमें इसके पश्चात् निर्गम जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट है), जिससे होकर यान जाने वाला है, और समय तथा तारीख, जिस तक वाहन पास (क्रास) होना चाहिए, विनिर्दिष्ट होगा. अभिवहन पास को, बार कोड लगाकर या अन्य किसी रीति द्वारा जैसा कि आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जाए अधिप्रमाणित किया जा सकेगा.

(3) यान का चालक/यान का भारसाधक अन्य कोई व्यक्ति निर्गम जांच चौकी पर वाहन को रोककर अभिवहन पास की दूसरी प्रति प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के बाहर ले जाए जा रहे परेषण वे ही हैं, जिसके संबंध में अभिवहन पास प्राप्त किया गया था, जांच चौकी अधिकारी को दस्तावेजों परेषण तथा माल का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा, निर्गम जांच चौकी का, जांच चौकी अधिकारी, परिवहनकर्ता द्वारा अभिवहन पास की दूसरी प्रति समर्पित करने पर तीसरी प्रति में पावती जारी करेगा.

(4) निर्गम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी को उप नियम (3) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये यान को रोके रखने, वाली करवाने और तलाशी करने की शक्ति होगी.''

(3) प्ररूप 10 में,—

(क) ''सामान्य जानकारी में, मद विवरणी की कालावधि के दौरान जारी बिलों के ब्यौरों के सामने, शब्द'' अनुक्रमांक . . . से . . . अनुक्रमांक तक'' का लोप किया जाए;

(ख) भाग क में, मद 2 में, उपमद (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(जक) माल का मूल्य जिस पर वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर कर उद्ग्रहणीय है'';

(ग) भाग ग के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''भाग-गक : कतिपय माल पर वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर कर

माल का विवरण	कर की दर	वजन/मात्रा/माप/इकाई	माल की कुल राशि	कर
			कुल	'';

(घ) भाग ज में, मद 1 में, कोष्ठक, चिन्ह और अक्षर ''(ख+ग)'' के स्थान पर, कोष्ठक, चिन्ह और अक्षर ''(ख+ग+गक)'' स्थापित किए जाएं.

(4) प्ररूप 59 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप-59 स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''प्ररूप-59

[नियम 76 (1) देखिए] * मूल/दूसरी प्रति/तीसरी प्रति

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

अभिवहन पास जारी करने हेतु आवेदन

प्रति,
जांच चौकी अधिकारी ....
.... जांच चौकी

मैं, ... आत्मज श्री .... निवासी .... (पूरा पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं .... वाहन क्रमांक . . . . के यान का परिवहनकर्ता (स्वामी/परिवहनकर्ता एजेन्सी का नाम और पता) हूं.

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त यान द्वारा ले जाया जा रहा परेषण जिसका विवरण इसके पीछे है, अन्य राज्य में गंतव्य स्थान के लिए है, उसे मध्यप्रदेश में कहीं भी उतारा नहीं/परिदत्त नहीं किया जाएगा.

3. मेरा यान/*ट्रक . . . . बजे . . . . को या उसके पूर्व जांच चौकी .... की सीमा पर .... (अन्य राज्य का नाम) के लिए मध्यप्रदेश को पार करेगा.

तारीख ....
समय ....
स्थान ....

हस्ताक्षर ....
प्रास्थिति ....

अभिवहन पास

अनुक्रमांक . . . . इसके पीछे उल्लिखित परेषण को ले जाने वाले यान*/ट्रक क्रमांक . . . . को मध्यप्रदेश से .... (राज्य का नाम) की सीमा से जांच चौकी पर तारीख . . . . से . . . . . . बजे . . . . तक . . . . तारीख को या उसके पूर्व पर पार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है.

स्थान ....
तारीख ....
समय ....

....
जांच चौकी अधिकारी के हस्ताक्षर
.... जांच चौकी
(मुद्रा)

* जो लागू न हो उसे काट दें

प्रमाणित किया जाता है कि इस पास की द्वितीय प्रति मैंने प्राप्त कर ली है.

स्थान ....
तारीख ....
समय ....

....
जांच चौकी अधिकारी के हस्ताक्षर
.... जांच चौकी
(मुद्रा)

पृष्ठ भाग

यान द्वारा ले जाए जा रहे परेषण का ब्यौरा

1. (क) परेषक का नाम और पूरा पता
(ख) समुचित राज्य के राज्य विक्रय कर विधि के अधीन टिन (यदि कोई हो)

2. (क) परेषिती का नाम और पूरा पता
(ख) समुचित राज्य के राज्य विक्रय कर अधिनियम के अधीन टिन (यदि कोई हो)

3. उस व्यक्ति का नाम और पूरा पता जिसको माल परिदत्त किया जाएगा, ऐसी दशा में यदि उसका परेषिती घोषणा में स्वयं के रूप में दर्शाता है.

4. वह स्थान जहां से माल भेजा गया था

5. गंतव्य स्थान (जिला सहित)

6. माल का संक्षिप्त विवरण

7. कुल मात्रा

8. कुल वजन

9. कुल मूल्य

10. परेषक का बीजक क्रमांक और तारीख

11. (क) वाहक (परिवहन कंपनी या यान का स्वामी) का नाम और पूर्ण पता
(ख) पैन
(ग) सेवा कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
(घ) यान के उसके नंबर सहित ब्यौरें
(ङ) यान चालक का नाम और पता
(च) माल के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता
(छ) बिल्टी/एल.आर. नंबर और तारीख

12. अभिवहन में माल के यानांतरण की दशा में—

(क) वाहक (परिवहन कंपनी या यान के स्वामी) का नाम और
(ख) पता
(ग) पैन
(घ) सेवा कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
(ङ) यान के उसके नंबर सहित ब्यौरे
(च) यान के चालक का नाम और पता
(छ) माल के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता
बिल्टी/एल.आर. नंबर और दिनांक

13. यान द्वारा राज्य से गुजरते समय संभावित तीन शहरों के नाम

14. निर्गम जांच चौकी का नाम जिससे होकर यान राज्य सीमा को पार करेगा

हस्ताक्षर ....
प्रास्थिति ....''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (75).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (75), दिनांक 4 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2011

No. FA-3-29-2011-1-V(75).—Whereas the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vate Rules, 2006 should be made;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) in rule 64, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where a miscellaneous application is furnished electronically through the official web portal of the department, no fees shall be payable."

(2) for rule 76, the following rule shall be substituted, namely :—

"76. Transit of goods by road through the state and issue of transit pass

(1) When a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, carrying goods as are notified for the purpose of clause (c) of sub-section (2) of Section 57 passes through the State, the driver/any other person in-charge of the vehicle shall submit an application in form 59 in triplicate to the check post officer of the check post or barrier, in any, established near the point of entry into the State (hereinafter referred to as the entry check post).

(2) The Check post officer of the entry check post shall, after examining the documents and after making such enquiries as he deems necessary, issue to the transporter the duplicate and triplicate copies of the application containing transit pass, retaining the original himself; the pass shall specify the check post or the barrier of the State (hereinafter referred to as the exit check post) to be crossed by the vehicle and the time and date upto which it should be so crossed. the transit pass may be authenticated by affixing a bar code or by any other method, as may be decided by Commissioner.

(3) The driver/any other person in-charge of the vehicle shall stop his vehicle at exit check post, surrender the duplicate copy of the transit pass and allow the check post officer to inspect the documents, consignments and goods in order to ensure that the consignments being taken out of the State are the same for which the transit pass has been obtained. The Check post officer of the exit check post shall issue a receipt on the triplicate copy of the transit pass for the duplicate copy surrendered by the transporter.

(4) The Check post officer of the exit check post shall have powers to detain unload and search the contents of the vehicle for the purpose mentioned in sub rule (3)."

(3) In Form 10.—

(a) in the 'General Information', against the item "Details of bills issued during return period", the words "From S. No......... to S. No............." shall be omitted;

(b) in Part A, in item 2, after sub-item (h), the following sub-item shall be inserted, namely :—

"(ha) Value of goods on which tax is leviable on the basis of weight, volume, measurement or unit";

(c) after Part C, the following Part shall be inserted, nemely :—

"Part CA : Tax by weight, volume, measurement or unit on certain goods

Description of goods	Rate of tax	Weight/volume/ measurement/unit	Turnover of goods	tax
			Total	";

(d) in Part H, in item 1, for the bracket, symbol and letters "(B+C)", the bracket, symbols and letters "(B+C+CA)" shall be substituted.

(4) for Form-59, the following form-59 shall be substituted, namely :—

"Form 59
[See rule 76(1)]
(to be submitted in triplicate)

*Original/Duplicate/Triplicate

Application for issue of Transit Pass (to be submitted in triplicate)

To,
The Check Post Officer,
...............................Check Post.

I...S/o, Shri ....R/o... (full address) hereby declare that I am the transporter of the vehicle No. ....belonging to....................(name and address of the owner/transporting agency).

2. I hereby declare that the consignments detailed overleaf being carried by the above vehicle are meant for destination in other state. They will not be unloaded or delivered anywhere in Madhya Pradesh.

3. My vehicle/*Truck will cross Madhya Pradeh for ....(name of the other State), Border at......................... Check Post on or before..................................(date) by..........................hours (time).

Date..........................
Time........................
Place.......................

Signature...........................
Status................................

Transit Pass

Sr. No. ....

Vehicle*/Truck No........................carrying the consignments mentioned overleaf is permitted to cross Madhya Pradesh to........................... (name of the state) border at ....check post by ....hours on or before............................date.....................

Place..............
Date.................
time...................

Signature of the check post Officer.............................
.............................check post.
(SEAL)

*Strike out whichever is not applicable.

Certified that I, have received the duplicate copy of this pass

Place..............
Date.................
time...................

Signature of the check post Officer.............................
.............................check post.
(SEAL)

Overleaf

Details of consignment carried by the vehicle

1. (a) Name and complete address of the consignor.
   (b) TIN under the State Sales Tax law of the appropriate State (if any).
2. (a) Name and complete address of the consignee.
   (b) TIN under the State Sales Tax act of the appropriate State (if any).
3. Name and complete address of the person to whom goods will be delivered in case his consignee is described as self in the declaration.
4. Place from which goods dispatched
5. Destination (including District)
6. Brief description of goods
7. Total quantity
8. Total weight

9. Total value

10. Consignor's invoice No. and date

11. (a) Name and address of the carrier (transport company or owner of the vehicle).
    (b) PAN
    (c) Service Tax Registration No.
    (d) Details of the vehicle with its number
    (e) Name and address of the driver of the vehicle.
    (f) Name and address of the person in-charge of the goods.
    (g) Bilty/L.R.No. and date

12. In case of transhipment of goods in transit—
    (a) Name and address of the carrier (transport company or owner of the vehicle).
    (b) PAN
    (c) Service Tax Registration No.
    (d) Details of the vehicle with its number
    (e) Name and address of the driver of the vehicle.
    (f) Name and address of the person in-charge of the goods.
    (g) Bilty/L.R.No. and date

13. Name of three cities likely to be crossed by the vehicle while passing through the State.

14. Name of the exit check post through which the vehicle would cross the State border.

Signature............................
Status.................................

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.